[2025] 8 एस.सी.आर. 174 : 2025 आई.एन.एस.सी. 849

एम/एस टोरिनो लेबोरेट्रीज़ प्रा. लि.

बनाम

यूनियन ऑफ़ इंडिया एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 9540 / 2018)

15 जुलाई 2025

[के.वी. विश्वनाथन एवं जॉयमल्या बागची, न्यायमूर्तिगण]

विचारणीय बिंदु

क्या कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ता तथा प्रत्यर्थी क्र.3 को **कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952** के प्रयोजनार्थ **एक ही इकाई** के रूप में मानना न्यायोचित था?

शीर्ष बिंदु

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 – धारा 2A – स्थापन में समस्त विभाग एवं शाखाएँ सम्मिलित – जहाँ अपीलकर्ता की इकाई टैबलेट एवं सिरप का निर्माण करती थी, वहीं प्रत्यर्थी क्र. 3 इंजेक्शन एवं कैप्सूल का निर्माण करता था – सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) ने यह निर्णय दिया कि अपीलकर्ता, ई.पी.एफ अधिनियम के लागू होने हेतु, प्रत्यर्थी क्र. 3 का अभिन्न अंग है, क्योंकि दोनों इकाइयों में अनेक सामान्य तत्व विद्यमान थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ—प्रबंधन की एकता, कुछ निदेशकों की समानता जो एक ही हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) से संबंधित थे; वित्तीय एकता; तथा दोनों इकाइयों द्वारा

औषधि उद्योग के उत्पादों से सम्बंधित है, आदि – उक्त आदेश अपीलीय अधिकरण तथा उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित।

अभिनिर्धारितः अपीलकर्ता तथा प्रत्यर्थी क्र. 3 एक ही उद्योग अर्थात् औषधि उद्योग में संलग्न थे; वे परस्पर सटे हुए भू-खण्डों पर निर्मित परिसरों में अपना व्यवसाय संचालित करते थे; सामान्य दूरभाष तथा फैक्स संख्या का उपयोग करते थे; समान वेबसाइट तथा ई-मेल आईडी रखते थे; उनका पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय एक ही था; दोनों द्वारा परिसरों की सुरक्षा हेतु समान सुरक्षा कर्मियों को नियोजित किया गया था; **प्रबंधन की एकता** भी इस प्रकार परिलक्षित थी कि जहाँ दो भाई प्रत्यर्थी क्र. 3 के निदेशक थे, उनमें से एक भाई अपीलकर्ता कंपनी का भी निदेशक था, जबकि अन्य भाई तथा एक भाई की पत्नी अपीलकर्ता कंपनी में निदेशक थे। इसके अतिरिक्त, **वित्त की एकता** भी विद्यमान थी, क्योंकि एक भाई के हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) तथा उसके परिवारजनों द्वारा दोनों कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC) द्वारा प्रतिपादित ये निष्कर्ष सामूहिक रूप से संदेह से परे यह स्थापित करते हैं कि दोनों संस्थाओं को ई.पी.एफ अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित रूप से समान माना गया। अपीलकर्ता का यह आग्रह कि अपीलकर्ता तथा प्रत्यर्थी क्र. 3 पृथक् वैधानिक व्यक्तित्व रखते हैं, अतः धारा 2A का प्रयोग नहीं किया जा सकता तथा 'क्लबिंग' का सिद्धांत लागू नहीं होगा, अस्वीकार किया जाता है। प्राधिकरणों द्वारा सितम्बर 1995 से बकाया राशि की अदायगी के लिए मांग करना न्यायोचित पाया जाता है। अपील में कोई औचित्य नहीं है – क्लबिंग का सिद्धांत लागू। [पैरा 12,31,34-37]

क्लबिंग का सिद्धांत – स्वामित्व की एकता; प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता का अभिनिर्धारण; तथा कार्यात्मक अखंडता को प्रदर्शित करने वाले तत्त्व– परीक्षणः

अभिनिर्धारितः सभी मामलो पर समान रूप से लागू होने वाला कोई एक निश्चित एवं अपरिवर्तनीय परीक्षण निर्धारित नहीं किया जा सकता – वास्तविक उद्देश्य यह पता लगाना है

कि विभिन्न *भागों, शाखाओं एवं इकाइयों* के मध्य वास्तविक संबंध क्या है – यदि अपने वास्तविक संबंध में वे एक एकीकृत संपूर्णता का निर्माण करती हैं, तो उन्हें एक ही स्थापना माना जाएगा; अन्यथा उन्हें पृथक इकाइयों के रूप में ग्रहण किया जाएगा – प्रत्येक प्रकरण का निर्णय उसके विशिष्ट तथ्यों, संबंधित विधि की योजना एवं उद्देश्य, तथा दावे के संदर्भ में किया जाना आवश्यक है – किसी एक मामले में स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता प्रधान परीक्षण हो सकती है, जबकि अन्य मामलों में कार्यात्मक अखंडता अथवा सामान्य एकता निर्णायक हो सकती है – कुछ परिस्थितियों में रोज़गार की एकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षण सिद्ध हो सकती है – नियोक्ता/प्रबंधन का स्वयं का आचरण, जिसमें वे पूँजी, कार्मिक तथा प्रबंधन को मिश्रित करते हैं या नहीं करते, भी महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है – केवल विभिन्न विधियों के अंतर्गत पृथक पंजीकरण होना यह दर्शाने हेतु पर्याप्त नहीं है कि इकाइयाँ पृथक हैं – इसी प्रकार, पृथक लेखांकन तथा स्वतंत्र वित्तीय विवरणों का होना भी *निष्कर्षात्मक* नहीं है – नियोक्ता/प्रबंधन पर यह भार है कि वे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत कर अपनी दलील को सिद्ध करें – कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 – धारा 2(क) [पैरा 34]

कर्मचारियों का भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 – धारा 2(क) – स्थापन में समस्त विभागों एवं शाखाओं को सम्मिलित किया जाना – अपीलकर्ता का यह आग्रह कि अपीलकर्ता एवं प्रत्यर्थी क्र.3 दो पृथक् विधिक व्यक्तित्व हैं, अतः धारा 2(क) का अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता तथा 'क्लबिंग' के सिद्धांत का भी आह्वान नहीं किया जा सकता:

अभिनिर्धारितः अस्वीकार। यद्यपि धारा 2(क) यह उपबंधित करती है कि कोई भी स्थापन अपने समस्त विभागों एवं शाखाओं सहित माना जाएगा, तथापि यह उस स्थिति से सम्बद्ध नहीं है कि किन परीक्षणों द्वारा यह निर्धारित किया जाए कि दो विधिक व्यक्तित्व केवल अधिनियम के उपबंधों से बचने हेतु कृत्रिम युक्ति अथवा छलावरण के रूप में स्थापित किए

गए हैं – कृत्रिम युक्तियों, कपटपूर्ण उपबंधों एवं आच्छादित संरचनाओं का सहारा प्रायः इस उद्देश्य से लिया जाता है कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु पृथक् इकाइयों का धुआँ-परदा निर्मित किया जा सके। ऐसी स्थिति में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह आवरण को उठाकर उसके पीछे की वास्तविकता का परीक्षण करे एवं सुप्रतिष्ठित परीक्षणों का अनुप्रयोग करते हुए यह निर्धारित करे कि संबंधित इकाइयाँ वस्तुतः पृथक् विधिक व्यक्तित्व हैं या वास्तव में एक ही इकाई का रूप हैं। अतएव यह तर्क कि यदि प्रकट रूप से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दो पृथक् पंजीकृत इकाइयाँ सम्मिलित हों तो धारा 2(क) का अनुप्रयोग नहीं किया जा सकता— अस्वीकार किया जाता है; विशेषकर तब जब न्यायालय एक कल्याणकारी अधिनियम, जैसे कि ई.पी.एफ. अधिनियम, का अर्थ-निर्णयन कर रहा हो। **[पैरा 12, 31]**

कर्मचारियों का भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 – धारा 16(1)(घ) – अवधि 26.09.1995 से 22.09.1997 तक, तत्समय प्रवर्तित धारा 16(1)(घ) के अंतर्गत प्राप्त शैशव-संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाना है या नहीं:

अभिनिर्धारितः नहीं। वर्तमान प्रकरण में, पूर्ववर्ती धारा 16(1)(घ) के अधीन शैशव- संरक्षण का दावा 'क्लबिंग' के निष्कर्ष के मद्देनज़र उत्पन्न ही नहीं होता – चूँकि अपीलकर्ता वर्ष 1995 से ही प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की एकीकृत इकाई माना गया है, अतः अपीलकर्ता को पृथक् रूप से किसी स्वतंत्र शैशव- संरक्षण का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। **[पैरा 36]**

उद्धरित न्यायदृष्टांत

मैनेजमेंट ऑफ़ प्रताप प्रेस, नई दिल्ली बनाम सेक्रेटरी, दिल्ली प्रेस वर्कर्स यूनियन, दिल्ली एवं अन्य, AIR 1960 SC 1213; रीजनल प्रोविडेन्ट फ़ण्ड कमिश्नर एवं अन्य बनाम धरमसी मोरारजी केमिकल कम्पनी लिमिटेड, (1998) 2 SCC 446; रीजनल प्रोविडेन्ट फ़ण्ड कमिश्नर बनाम राज्स कॉन्टिनेन्टल एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड, [2007] 3 SCR 636 : (2007) 4 SCC 239; एसोसिएटेड

सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड, चाईबासा सीमेंट वर्क्स, झिन्कपानी बनाम वर्कमेन, [1960] 1 SCR 703 : AIR 1960 SC 56; एल. एन. गडोदिया एण्ड सन्स बनाम रीजनल प्रोविडेन्ट फ़ण्ड कमिश्नर, [2011] 11 SCR 5008 : (2011) 13 SCC 517; श्री विशाल प्रिन्टर्स लिमिटेड बनाम प्रोविडेन्ट फ़ण्ड कमिश्नर, [2019] 12 SCR 146 : (2019) 9 SCC 508; रीजनल प्रोविडेन्ट फ़ण्ड कमिश्नर बनाम नारैनी उद्योग, [1996] Supp. 3 SCR 202 : (1996) 5 SCC 522; सयाजी मिल्स लिमिटेड बनाम रीजनल प्रोविडेन्ट फ़ण्ड कमिश्नर, [1985] 2 SCR 516 : (1984) Supp. SCC 610; द ऑनरेरी सेक्रेटरी, साउथ इंडिया मिलओनर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम सेक्रेटरी, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन, [1962] Supp. 2 SCR 926; मैनेजमेंट ऑफ़ वेंगर एण्ड कम्पनी बनाम देयर वर्कमेन, [1963] Supp. 2 SCR 862; राजस्थान प्रेम कृष्ण गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी बनाम रीजनल प्रोविडेन्ट फ़ण्ड कमिश्नर, नई दिल्ली एवं अन्य, [1996] Supp. 3 SCR 1 : (1996) 9 SCC 454; सुमंगलि बनाम रीजनल डायरेक्टर, एम्प्लॉईज़ स्टेट इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन, [2008] 10 SCR 1129 : (2008) 9 SCC 106 — उल्लेखित।

अधिनियमों की सूची

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

कुंजीशब्द की सूची

स्थापना में सभी विभाग एवं शाखाएँ सम्मिलित ;कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1952 के प्रयोजनार्थ एक इकाई; ई.पी.एफ अधिनियम के प्रयोजनार्थ दो संस्थाओं को समान/एकीकृत इकाई माना जाना; सामान्य तत्व; दोनों इकाइयाँ औषधि उद्योग के उत्पादों से संबंधित; दोनों इकाइयाँ एक ही उद्योग में संलग्न; अभिन्न अंग ; टैबलेट एवं सिरप; इंजेक्शन एवं कैप्सूल; सहायक भविष्य निधि आयुक्त (APFC); सन्निहित भूखंडों पर निर्मित परिसरों में व्यवसाय; सामान्य दूरभाष एवं फैक्स संख्यासामान्य वेबसाइट एवं ई-मेल पहचान; समान

पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालय; परिसर की सुरक्षा हेतु सामान्य सुरक्षा कर्मी; स्वामित्व की एकता; वित्त की एकता; प्रबंधन की एकता; दो पृथक् विधिक व्यक्तित्व; क्लबिंग सिद्धांत का प्रयोग; बकाया राशि का अदायगी; क्रियात्मक *अखंडता;* सामान्य एकता; रोज़गार की एकता; पूँजी, कर्मचारी एवं प्रबंधन का मिश्रण/अमिश्रण; विभिन्न विधियों के अंतर्गत पृथक् पंजीयन; पृथक् इकाइयाँ; पृथक् लेखांकन/लेखा-संचालन; स्वतंत्र वित्तीय विवरण; कृत्रिम उपाय, छलावरण एवं मुखौटे; कंपनी आवरण भेदन का दायित्व; नवस्थापना संरक्षण ; एकीकृत इकाई; कल्याणकारी विधि; श्रम की एकता; कर्मचारियों की स्थानांतरणीयता.

वाद निम्न मामलों से उद्धृत

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 9540/2018

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर द्वारा रिट याचिका सं. 2503/2011 में दिनांक 22.04.2016 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

पक्षकारो की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता के अधिवक्ता :

गगन गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता; अनन्त प्रसाद मिश्रा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता :

बृजेन्द्र चाहर, सहायक महाधिवक्ता; विष्णु जैन; सुश्री मनी मुंजाल; शन्तनु शर्मा; आदित्य दीक्षित; अमरीश कुमार; राजबहादुर यादव; सिद्धार्थ; प्रतीक गोयल; हर्षित मनवानी; उज्ज्वल सिंह।

निर्णय/उच्चतम न्यायालय का आदेश

<u>निर्णय</u>

के.के. विश्वनाथन, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान अपील, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर की युगलपीठ द्वारा रिट याचिका क्र. 2503/2011 में दिनांक 22.04.2016 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होती है। उक्त निर्णय एवं आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर रिट याचिका को निरस्त किया तथा कर्मचारियों का भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण, *नव–दिल्ली* (संक्षेप में 'अपीलीय अधिकरण') द्वारा दिनांक 24.01.2011 को पारित आदेश को यथावत् रखा, जिसने आगे चलकर दिनांक 17.02.2006 को सहायक भविष्य निधि आयुक्त, इन्दौर (संक्षेप में 'ए.पी.एफ.सी') द्वारा पारित आदेश को भी यथावत् रखा था। ए.पी.एफ.सी ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अपीलकर्ता *मि./स्. विंदास केमिकल इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.* (जिसे आगे 'विन्दास' कहा गया है) — प्रत्यर्थी क्रमांक 3 — का अविभाज्य अंग है, और इस प्रकार कर्मचारियों का भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (संक्षेप में 'ईपीएफ अधिनियम') की प्रयोज्यता के लिए उसे सितंबर 1995 से ही विन्दास की इकाई माना जाएगा। देयकों के भुगतान हेतु उपयुक्त परिणात्मक निर्देश भी पारित किए गए थे। उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय एवं आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने, विशेष अनुमति द्वारा, वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

<u>संक्षिप्त तथ्य:-</u>

2. निस्संदेह, दिनांक 22.11.1988 को डॉ. दर्शन् कटारिया तथा उनके भाई निरंजन कटारिया ने प्रत्यर्थी क्रमांक 3 — विन्दास — की स्थापना कुछ निर्दिष्ट औषधियों के इंजेक्शन एवं कैप्सूल के निर्माण हेतु की थी।

2.1 उक्त कारखाना प्लॉट क्र. 65, सेक्टर–1, पीथमपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश में स्थित था। विन्दास का निगमन, कंपनी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश के यहाँ किया गया था।

2.2 तत्पश्चात्, दिनांक 05.09.1990 को श्री वासुदेव कटारिया तथा सुश्री रजनी कटारिया (पत्नी, डॉ. दर्शन् कटारिया) द्वारा अपीलकर्ता- कम्पनी का कंपनी का निगमन महाराष्ट्र राज्य के कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष कराया गया। अभिलेख से यह भी प्रतित होता है कि डॉ. दर्शन् कटारिया अपीलकर्ता- कम्पनी के निदेशक भी थे।

2.3 तथापि, अपीलकर्ता का कारखाना प्लॉट क्र. 65/1, सेक्टर–1, पीथमपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश में स्थापित किया गया था तथा टैबलेटों के निर्माण का व्यापार तथा पश्चात् तरल सिरपों का उत्पादन वहीं प्रारंभ किया गया। यह भी निर्विवाद है कि विन्दास, ई.पी.एफ. अधिनियम के अधीन आवृत्त था।

2.4 दिनांक 17/20.01.2005 को अपीलकर्ता के परिसर पर निरीक्षण किए गए तथा दिनांक 24.01.2005 को एक पत्र भेजकर भविष्य निधि योगदान एवं प्रशासनिक व्ययों का भुगतान 01.04.2004 से करने हेतु कहा गया, यद्यपि यह उल्लेखित था कि उक्त तिथि परिवर्तनशील है तथा पूर्व अभिलेखों के निरीक्षण के उपरान्त अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

2.5 अपीलकर्ता ने अपने उत्तर दिनांक 04.02.2005 में ई.पी.एफ. अधिनियम की प्रयोज्यता का विरोध इस आधार पर किया कि श्रमिकों/कर्मचारियों की संख्या विहित सीमा से अधिक नहीं थी। यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा दिनांक 20.01.2005 की संसूचना में प्रमुख रूप से जिस विषय को रेखांकित किया गया था, वह बीस से अधिक कर्मचारियों की संख्या था।

2.6 पुनः 28.03.2005 को निरीक्षण किया गया तथा निरीक्षण टिप्पणी में स्पष्टतः यह अंकित किया गया कि अपीलकर्ता का स्थापन विन्दास — *तृतीय प्रत्यर्थी* — के परिसर के भीतर स्थित है, दोनों स्थापनाओं के लिए समान सुरक्षा प्रबंध नियुक्त है तथा विन्दास के प्रबंध निदेशक डॉ. दर्शन् कटारिया हैं।

2.7 तत्पश्चात्, दिनांक 29.04.2005 को अपीलकर्ता के विरुद्ध ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 7(क) के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु समन जारी किया गया। धारा 7(क) प्राधिकृत अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे आवश्यकतानुसार जाँच करें तथा ई.पी.एफ. अधिनियम के अधीन स्थापनाओं की आवृत्ति से संबंधित विवादों पर आदेश पारित करें। अपीलकर्ता को निर्देशित किया गया कि वह अप्रैल 2004 से मार्च 2005 तक की देय राशि के निर्धारण हेतु समस्त सुसंगत अभिलेखों की सत्यापित प्रतियाँ प्रस्तुत करे।

2.8 अपीलकर्ता ने, अपने उत्तर दिनांक 03.05.2005 में, यद्यपि किसी भी देयता से इंकार किया, किन्तु यह भी उल्लेख किया कि वे स्वेच्छा से इकाई के आवृत्त को स्वीकार कर रहे हैं और 01.04.2005 से योगदान देना प्रारंभ करेंगे। अतः यह अपील वास्तविक रूप से 01.04.2005 से पूर्व की अवधि तथा उस पर आधारित देयता से संबंधित है। अपीलकर्ता ने उक्त समन का प्रत्युत्तर अपने पत्र दिनांक 13.06.2005, 10.10.2005 तथा 17.10.2005 के माध्यम से भी दिया।

2.9 उल्लेखनीय यह है कि दिनांक 10.10.2005 के तर्क में अपीलकर्ता ने 23.09.2005 की सुनवाई में संपन्न कार्यवाही का उल्लेख किया, जहाँ उन्हें यह अवगत कराया गया था कि प्राधिकारीगण अपीलकर्ता की इकाई को विन्दास — *प्रत्यर्थी क्रमांक 3* — के साथ *क्लबिंग* करने की संभावना का परीक्षण कर रहे हैं तथा अपीलकर्ता को विन्दास — प्रत्यर्थी क्रमांक 3 — की इकाई के निरीक्षण प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराये गए थे ।

अपीलकर्ता ने अपने तर्कों दिनांक 10.10.2005 में विस्तारपूर्वक यह भी प्रतिपादित किया कि विन्दास — प्रत्यर्थी क्रमांक 3 — के साथ *क्लबिंग* उचित नहीं है और अपीलकर्ता पूर्णतः स्वतंत्र एवं पृथक इकाई है।

2.10 यह भी विवादित नहीं है कि दिनांक 28.03.2005 के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ-साथ 17.01.2005 तथा 20.01.2005 के निरीक्षण प्रतिवेदन भी 10.10.2005 को अपीलकर्ता को प्रदान किए गए, जैसा कि हमारे समक्ष दायर लिखित प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

2.11 जब स्थिति इस प्रकार थी, प्रतीत होता है कि दिनांक 10.11.2005 का एक और प्रतिवेदन तैयार किया गया, जिसमें पुनः अपीलकर्ता की इकाई तथा विन्दास की इकाई — दोनों — के *क्लबिंग* का उल्लेख विभाग द्वारा किया गया, जिसका प्रतिवाद अपीलकर्ता ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 20.12.2005 से किया।

2.12 दिनांक 17.02.2006 को एपीएफसी ने एक आदेश पारित कर अपीलकर्ता के तर्कों को अस्वीकार कर दिया, जिसमें ट्रेड यूनियन (श्रमिक संघ) का सुनवाई का अधिकार संबंधी तर्क (*लोकस स्टैण्डी*) भी समाहित था, जिसने दोनों इकाइयों को एक समान होने का मुद्दा उठाया था। एपीएफसी ने यह धारित किया कि यदि *क्लबिंग* का मामला अन्यथा सिद्ध होता है, तो लोकस स्टैण्डी का प्रश्न अप्रासंगिक है। एपीएफसी ने निम्नलिखित समान कारकों को पाया—

(a) कि दोनों इकाइयाँ औषधि उद्योग के उत्पादों से सम्बंधित थे;

(b) कि दोनों इकाइयाँ एक ही परिसर से कार्य करती थीं, एक ही प्रवेश-द्वार से तथा बिना किसी दृश्यमान सीमांकन के — जहाँ अपीलकर्ता का पता प्लॉट क्र. 65/1,

सेक्टर–1, पीथमपुर तथा विन्दास — *प्रत्यर्थी क्रमांक 3* — का पता प्लॉट क्र. 65, सेक्टर–1, पीथमपुर, जिला धार था;

(c) कि अपीलकर्ता तथा विन्दास — *प्रत्यर्थी क्रमांक 3* — दोनों के दूरभाष क्रमांक समान थे तथा आदेश में वास्तविक दूरभाष क्रमांक का उल्लेख किया गया। संपूर्ण कारखाने की सुरक्षा भी समान सुरक्षा कर्मियों, अर्थात् *मि./स्. बनारस सिक्योरिटी सर्विसेज*, द्वारा की जाती थी;

(d) कि दोनों कंपनियों का सामान्य प्रशासनिक कार्यालय 102, प्रभुदीप अपार्टमेंट, 11 इंद्रपुरी कॉलोनी, इंदौर में स्थित था तथा उस प्रशासनिक कार्यालय के दूरभाष क्रमांक एवं फैक्स क्रमांक भी समान थे;

(e) कि दोनों कंपनियाँ समान वेबसाइट एवं समान ई-मेल आई-डी का उपयोग करती थीं;

(f) कि मुंबई स्थित 210, आदमजी बिल्डिंग, 413, नरसी नाथा स्ट्रीट, मस्जिद बंदर रोड का पता, जो अपीलकर्ता का पंजीकृत कार्यालय था, वही प्रत्यर्थी क्रमांक 3- विन्दास का मुख्य कार्यालय भी था, जिसके दूरभाष क्रमांक तथा फैक्स क्रमांक भी समान थे;

(g) कि कुछ निदेशक समान थे तथा वे सभी एक ही हिंदू अविभाजित परिवार से संबंधित थे;

(h) कि वित्त का स्रोत भी एक ही हिंदू अविभाजित परिवार था, चाहे वह निदेशक, लेनदार अथवा शेयरधारक के रूप में हो;

2.13 इन तथ्यों के आलोक में, ए.पी.एफ.सी. ने यह पाया कि दोनों इकाइयों में उद्देश्य की एकरूपता तथा कार्यात्मक अखंडता विद्यमान थी, क्योंकि समान कारखाना, समान

प्रशासन/मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय, समान ई-मेल आई-डी/वेबसाइट तथा समान वित्त-स्रोत थे। ए.पी.एफ.सी. ने कंपनी रजिस्ट्रार एवं विभिन्न शासकीय विभागों में पृथक पंजीकरण की वास्तविकता को अप्रासंगिक मानते हुए यह निर्णय दिया कि दोनों इकाइयाँ ई.पी.एफ. अधिनियम के उद्देश्य से एक ही इकाई हैं।

2.14 अपीलकर्ता ने ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 7-झ के अंतर्गत अपीलीय अधिकरण में अपील प्रस्तुत की। अपीलकर्ता के अनुसार, 09.12.2010 को सुनवाई स्थगित किए जाने के पश्चात प्रकरण-पत्रावलियाँ अनुपलब्ध थीं तथा 09.12.2010 के बाद कोई भी सुनवाई-सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसके बावजूद, 24.01.2011 को अपीलीय अधिकरण ने अपील को निरस्त कर दिया।

2.15 तत्पश्चात, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (इंदौर खंडपीठ) में दायर रिट याचिका क्रमांक 2503/2011 भी असफल रही। इसी प्रकार यह प्रकरण हमारे समक्ष प्रस्तुत है।

<u>विद्वान अधिवक्ता के तर्क:</u>

3. हमने अपीलकर्ता की ओर से श्री गगन गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, तथा ए.पी.एफ.सी.-**प्रत्यर्थी क्रमांक 2** प्राधिकरणों की ओर से श्री सिद्धार्थ, अधिवक्ता, और भारत संघ की ओर से श्री बृजेंद्र चहार, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, के तर्कों को सुना ।

4. श्री गगन गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, ने यह प्रतिपादित किया कि प्रारम्भ में प्राधिकरणों ने इस आधार पर कार्यवाही की थी कि अपीलकर्ता की इकाई में कर्मचारियों की संख्या 20 से अधिक है और क्लबिंग का पहलू बाद में विचारोपरांत जोड़ा गया। उनका कहना है कि क्लबिंग का नोटिस अपीलकर्ता को दिए जाने के बजाय **प्रत्यर्थी क्रमांक 3—विन्दास** को दिया जाना चाहिए था; कि ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 2(क) दो स्वतंत्र न्यायिक संस्थाओं पर लागू नहीं हो सकती; कि अपीलकर्ता तथा **प्रत्यर्थी क्रमांक 3—**

विन्दास दोनों ही औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पृथक रूप से पंजीकृत हैं तथा दोनों संस्थाओं के केन्द्रीय बिक्री-कर, केन्द्रीय आबकारी, सेवा-कर, ई.एस.आई. के अंतर्गत पृथक खाता क्रमांक/पंजीकरण हैं तथा पृथक पैन (स्थायी खाता संख्या) और कॉर्पोरेट पहचान क्रमांक भी धारित हैं।

5. वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रतिपादित किया कि दोनों स्थापना के बिजली एवं जल संयोजन पृथक-पृथक हैं तथा नगर निगम द्वारा संपत्ति-कर भी पृथक रूप से आरोपित किया जाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि समन अप्रैल 2004 से मार्च 2005 की अवधि हेतु जारी किया गया था, किन्तु ए.पी.एफ.सी. ने अपने आदेश द्वारा अनुपालन **सितम्बर 1995 से** करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि कर्मचारियों का किसी प्रकार का अदला-बदली होना स्वीकार नहीं किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने 21.07.2010 के श्रम न्यायालय के अवार्ड का हवाला दिया जिसमें अपीलकर्ता के कर्मचारियों का यह आग्रह कि उन्हें **प्रत्यर्थी क्रमांक 3—विन्दास** की इकाई में कार्य करने की अनुमति दी जाए, अस्वीकार कर दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रतिपादित किया कि दोनों स्थापनाओं के मध्य न तो **कार्यात्मक अखंडता** थी और न ही परस्पर निर्भरता; और जबकि अपीलकर्ता टैबलेट तथा सिरप का निर्माण करता है, **प्रत्यर्थी क्रमांक 3—विन्दास** इंजेक्शन एवं कैप्सूल का निर्माण करता है। बिना किसी पूर्वाग्रह के, वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि यदि उनकी तर्कों को अस्वीकार किया जाता है तो ई.पी.एफ. अधिनियम की धारा 16(1)(घ) के अंतर्गत, जैसा कि उस समय प्रवृत्त था, अवधि **26.09.1995 से 22.09.1997** तक शैशव संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णयों— **मैनेजमेंट ऑफ प्रताप प्रेस, न्यू दिल्ली बनाम सेक्रेटरी, दिल्ली प्रेस वर्कर्स यूनियन, दिल्ली एंड अनदर, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1213**; **रीजनल**

<u>प्रोविडेंट फ़ंड कमिश्नर एंड अनदर बनाम धरमसी मोराजी केमिकल कंपनी लिमिटेड, (1998) 2 एस.सी.सी. 446</u>; तथा **<u>रीजनल प्रोविडेंट फ़ंड कमिश्नर बनाम राज्स कॉन्टिनेंटल एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड,</u>** (2007) 4 एस.सी.सी. 239— का हवाला दिया।

6. श्री सिद्धार्थ, ई.पी.एफ. प्राधिकरणों के अधिवक्ता, ने अपीलकर्ता के तर्कों का प्रत्युत्तर देते हुए यह प्रतिपादित किया कि यह प्रश्न कि किसे एक *स्थापना* माना जाएगा, तथ्य एवं कानून का मिश्रित प्रश्न है, जिसे दिए गए प्रकरण के तथ्यों के संदर्भ में और अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता और **प्रत्यर्थी क्रमांक 3—विन्दास** ई.पी.एफ. अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक सामान्य स्थापना का गठन करते हैं तथा ए.पी.एफ.सी. द्वारा दोनों इकाइयों के औषधि व्यवसाय में संलग्न होने, समान कारखाना परिसर में व्यवसाय संचालन, साझा दूरभाष/फैक्स क्रमांक, समान वेबसाइट और ई-मेल आईडी के उपयोग संबंधी निष्कर्षों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। अधिवक्ता के अनुसार, प्रबंधन में एकता, वित्त में एकता तथा साझा प्रशासनिक/मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय का अस्तित्व भी कार्यात्मक अखंडता की ओर संकेत करता है। अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया कि यह प्रमाणित करने का भार कि कोई एकता नहीं थी, अपीलकर्ता पर था जिसे अपीलकर्ता निर्वहन करने में असफल रहा; चूंकि अपीलकर्ता और प्रत्यर्थी क्रमांक 3 का संयुक्त आकलन किया जाएगा, पर देयता केवल संबंधित कर्मचारियों के लिए होगी, इसलिए विन्दास—प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को पृथक समन जारी करने की आवश्यकता नहीं थी। अधिवक्ता ने यह भी प्रतिपादित किया कि श्रम न्यायालय का आदेश ई.पी.एफ. अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरणों को बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अधिनियमों के अंतर्गत अधिकार भिन्न हैं, और जब श्रम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रोजगार की कोई एकता नहीं थी, तब उसे ए.पी.एफ.सी. द्वारा देखे गए अन्य पहलुओं पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। अधिवक्ता ने अपीलकर्ता

की तर्कों का भी खंडन किया कि उन्हें अधिकरण द्वारा नहीं सुना गया, क्योंकि कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया कि अधिकरण द्वारा अपीलकर्ता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और, किसी भी स्थिति में, उक्त तर्क उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय के निर्णयों— **असोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड, चैबासा सीमेंट वर्क्स, झींझपानी बनाम वर्कमेन, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 56, एल.एन. गदोदिया एंड सन्स बनाम रीजनल प्रोविडेंट फ़ंड कमिश्नर, (2011) 13 एस.सी.सी. 517, श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड बनाम प्रोविडेंट फ़ंड कमिश्नर, (2019) 9 एस.सी.सी. 508, रीजनल प्रोविडेंट फ़ंड कमिश्नर बनाम नरैनी उद्योग, (1996) 5 एस.सी.सी. 522** — का हवाला दिया।

7. हमने संबंधित पक्षों के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण के अभिलेखों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

विचारणीय प्रश्न:-

8. क्या भविष्य निधि प्राधिकरण द्वारा अपीलकर्ता तथा विंदास–प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को ईपीएफ अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक इकाई के रूप में मानना न्यायोचित था?

कुछ प्रारम्भिक पहलू :

9. मुख्य मुद्दे पर विचार करने से पूर्व, हम प्रारम्भ में ही विचारार्थ उठाए गए कुछ प्रारम्भिक बिन्दुओं का निपटारा करना आवश्यक समझते हैं। अधिकरण के समक्ष प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का जो पहलू उठाया गया था, वह उच्च न्यायालय के समक्ष तर्करूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। किसी भी स्थिति में, हम यहाँ मामले का गुण-दोष के आधार पर विस्तृत परीक्षण कर रहे हैं, अतः उक्त पहलू पर और विचार करने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 21.07.2010 के श्रम न्यायालय के अवार्ड पर

आधारित तर्क भी अपीलकर्ता के मामले को किसी प्रकार आगे नहीं बढ़ाता। सर्वप्रथम, सहायक भविष्य निधि आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 17.02.2006 में विभिन्न परीक्षणों को अपनाते हुए विषय का विस्तारपूर्वक परीक्षण किया तथा यह निष्कर्ष निकाला कि भविष्य निधि अधिनियम (ईपीएफ) के प्रयोजनार्थ दोनों इकाइयाँ एक ही हैं। श्रम न्यायालय के समक्ष मुद्दा केवल इतना था कि क्या अपीलकर्ता के श्रमिकों को विंदास–प्रत्यर्थी क्रमांक 3 में रोजगार का दावा करने का अधिकार प्राप्त है। उक्त संदर्भ के उत्तर में श्रम न्यायालय ने यह पाया कि अपीलकर्ता के श्रमिकों द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक 3–विंदास की इकाई में कार्य किए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। क्लबिंग के लिए एपीएफसी द्वारा उद्धृत अन्य संकेतकों को भी श्रम न्यायालय ने प्रासंगिक नहीं माना। किसी भी दशा में, एपीएफसी द्वारा उल्लिखित विभिन्न कारकों के मद्देनज़र, श्रम न्यायालय का उक्त अवार्ड इस मुद्दे के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं डालता।

<u>विश्लेषण एवं कारण :—</u>

<u>ईपीएफ अधिनियम — एक कल्याणकारी विधान</u>

10. ईपीएफ अधिनियम एक कल्याणकारी विधान है, जिसका उद्देश्य कारखानों एवं अन्य स्थापनाओं में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं जमा–लिंक्ड बीमा निधि की स्थापना करना है। यह एक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम है, जिसका उद्देश्य कारखानों एवं अन्य स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों की परिस्थितियों में सुधार करना है। इस न्यायालय ने **<u>सायाजी मिल्स लिमिटेड बनाम रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, 1984 Supp SCC 610</u>** में यह माना है कि ईपीएफ अधिनियम की ऐसी व्याख्या की जानी चाहिए जिससे इसके उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके, और ऐसी किसी भी व्याख्या से बचना चाहिए जो अधिनियम के प्रावधानों से बचने में सहायक हो।

<u>क्लबिंग पर कानून:-</u>

11. इस मामले में विचार के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा उठता है वह है – क्या अपीलकर्ता और विंदास के साथ अधिकारियों का व्यवहार उचित था- ईपीएफ अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रतिवादी संख्या 3 को एक इकाई के रूप में और क्या इसे निर्धारित करने के लिए सही परीक्षण लागू किए गए थे? धारा 2-अ ईपीएफ अधिनियम का विवरण इस प्रकार है:-

> [**2क. सब विभागों और शाखाओं का स्थापन के अन्तर्गत होना-** शंकाओं के निराकरण के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां स्थापन विभिन्न विभागों से मिलकर बना है या जहां किसी स्थापन में शाखाएं हैं चाहे वे एक ही स्थान पर हों या विभिन्न स्थानों पर वहां ऐसे सभी विभागों या शाखाओं को उसी स्थापन का भाग माना जाएगा ।]

12. अपीलकर्ता की ओर से माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि अपीलकर्ता तथा विंदास–प्रत्यर्थी क्रमांक 3 दो पृथक विधि व्यक्तित्व हैं और इस कारण वे धारा 2-अ के दायरे में नहीं आते—केवल उल्लेख करने योग्य है, अस्वीकार किए जाने हेतु। धारा 2-अ जहाँ यह उपबंधित करती है कि किसी स्थापना में उसके सभी विभाग और शाखाएँ सम्मिलित होंगी, वहीं यह नहीं बताती कि दो विधिक व्यक्तित्वों को कृत्रिम माध्यम अथवा छलपूर्वक संरचना के रूप में अधिनियम के प्रावधानों से बचने हेतु स्थापित किया गया है या नहीं — इसे निर्धारित करने के लिए कौन-से परीक्षण अपनाए जाएँ।

13. इस मामले में उत्पन्न प्रश्न का उत्तर उन स्थापित सिद्धांतों को लागू करके दिया जाना है जिनसे यह निर्धारित किया जाता है कि स्वामित्व की एकता, प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता, तथा कार्यात्मक अखंडता के अस्तित्व के कौन-कौन से लक्षण उपस्थित हैं।

यह मुद्दा अब *रेस इंटेग्रा* (अनिर्णीत विषय) नहीं है तथा इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा पूर्णतः स्थापित किया जा चुका है।

14. इस विषय पर विचार करने वाला सर्वप्रथम निर्णय ***एसोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड (उपर्युक्त)*** का है, जिसमें इस न्यायालय को यह प्रश्न परीक्षण करना था कि क्या राजनाका चूना-पत्थर खदान में श्रमिकों की हड़ताल के कारण चैबासा सीमेंट वर्क्स के कुछ अनुभागों में श्रमिकों को दिए गए ले ऑफ को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25-E(iii) के अंतर्गत उचित माना जा सकता है। धारा 25-E(iii) यह उपबंधित करती है कि यदि स्थापना के किसी अन्य भाग में श्रमिकों की हड़ताल या उत्पादन-धीमीकरण के कारण ले ऑफ हुआ है, तो ऐसे श्रमिकों को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। उक्त प्रश्न की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रतिपादन किया:

> "11. अधिनियम में 'एक ही स्थापना' क्या है, यह निर्धारित करने के लिए कोई विशिष्ट परीक्षण निर्धारित नहीं किया गया है; अतः हमें उन विचारों का सहारा लेना होगा जो साधारण औद्योगिक या व्यापारिक दृष्टि से किसी औद्योगिक स्थापना की एकता को निर्धारित करते हैं—निःसंदेह अधिनियम की रूपरेखा एवं उद्देश्य तथा खदान अधिनियम, 1952 या कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रासंगिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए। तो फिर साधारण औद्योगिक या व्यापारिक अर्थ में 'एक स्थापना' क्या होता है?
>
> जब औद्योगिक स्थापना विभिन्न भागों, इकाइयों, विभागों, शाखाओं आदि से मिलकर बना हो, तब उसकी एकता या एकरूपता का प्रश्न जटिल हो जाता है। यदि स्थापना एक ही स्थान पर स्थित एकमात्र इकाई वाला हो,

तो इसे 'एक स्थापना' कहना कठिन नहीं है। किंतु जहाँ औद्योगिक उपक्रम के भाग, शाखाएँ, विभाग, इकाइयाँ आदि विभिन्न स्थानों—निकट या दूर—पर स्थित हों, वहाँ प्रश्न यह उठता है कि 'एक स्थापना' की पहचान हेतु कौन-से परीक्षण लागू किए जाएँ। हमारे समक्ष तर्क-वितर्क के दौरान कई परीक्षणों का उल्लेख किया गया, जैसे—भौगोलिक निकटता, स्वामित्व की एकता, प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता, रोजगार एवं सेवा-शर्तों की एकता, कार्यात्मक अभिन्नता, उद्देश्य की सामान्य एकता आदि। इनमें से अधिकांश का उल्लेख हमने श्री डोंगरे की साक्ष्य-वस्तु और उस पर दिए गए अधिकरण के निष्कर्षों को संक्षेपित करते समय किया है। किसी एक सार्वभौमिक एवं अपरिवर्तनीय परीक्षण को सभी मामलों में लागू किया जा सके—यह संभव नहीं है। इन परीक्षणों का वास्तविक उद्देश्य यह पता लगाना है कि विभिन्न भागों, शाखाओं, इकाइयों आदि के बीच वास्तविक संबंध क्या है। यदि अपने वास्तविक संबंध में वे एक समेकित संपूर्ण इकाई बनाते हैं, तो हम इसे 'एक स्थापना' कहते हैं; इसके विपरीत, यदि वे समेकित संपूर्ण इकाई नहीं बनाते, तो प्रत्येक इकाई को पृथक इकाई माना जाएगा। इन इकाइयों के परस्पर संबंध का निर्धारण, सिद्ध तथ्यों पर आधारित होगा तथा उस विधिक योजना एवं उद्देश्य को ध्यान में रखेगा जो बेरोज़गारी क्षतिपूर्ति का अधिकार प्रदान करती है और साथ ही उसके लिए अपात्रता भी निर्धारित करती है। अतः किसी एक मामले में स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता प्रमुख परीक्षण हो सकता है; अन्य में कार्यात्मक अभिन्नता या उद्देश्य की सामान्य एकता महत्वपूर्ण हो सकती है; और किसी अन्य मामले में रोजगार की एकता ही निर्णायक कारक हो सकती है। वास्तव में, अनेक मामलों में कई परीक्षण एक साथ

विचारणीय होते हैं। इन परीक्षणों को लागू करने में कठिनाई आधुनिक औद्योगिक संगठन की जटिलताओं के कारण उत्पन्न होती है; अनेक उद्यम ऐसे हो सकते हैं जिनमें विभिन्न कारखानों के बीच कार्यात्मक अभिन्नता हो, भले ही वे पृथक स्वामित्व में हों; कुछ उपक्रम आंशिक रूप से समान स्वामित्व वाली इकाइयों से और आंशिक रूप से स्वतंत्र स्वामित्व वाली इकाइयों से एकीकृत हो सकते हैं। इन तमाम जटिलताओं के बीच वास्तविक एकता के सूत्र को ढूँढना कठिन हो सकता है। अमेरिका के एक निर्णय (Donald L. Nordling v. Ford Motor Company, (1950) 28 AIR, 2d 272) में एक उदाहरण दिया गया, जहाँ एक औद्योगिक उत्पाद लगभग 3800 या 4000 पुर्ज़ों से निर्मित था, जिनमें से लगभग 900 एक संयंत्र से आते थे; कुछ उसी कंपनी के अन्य संयंत्रों से और कुछ स्वतंत्र स्वामित्व वाले संयंत्रों से। और किसी भी एक संयंत्र में हड़ताल या किसी अन्य श्रम-विवाद के कारण होने वाली शटडाउन स्थिति मुख्य संयंत्र या फैक्ट्री के बंद होने का कारण बन सकती थी।"

15. जैसा कि उचित रूप से इंगित किया गया है, यह सम्भव नहीं है कि सभी मामलों के लिए किसी एक कसौटी को पूर्ण एवं अपरिवर्तनीय कसौटी के रूप में निर्धारित किया जा सके।

16. असोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड (उपर्युक्त) का अनुसरण प्रताप प्रेस (उपर्युक्त) में किया गया। प्रताप प्रेस (उपर्युक्त) में यह प्रश्न विचाराधीन था कि प्रेस तथा 'वीर अर्जुन' एवं 'डेली प्रताप' प्रकाशनों के लाभ या हानि को बोनस के निर्धारण हेतु एक साथ जोड़ा जाए या नहीं। जहाँ नियोक्ता का यह आग्रह था कि प्रेस और वीर अर्जुन एक ही स्थापना हैं तथा डेली प्रताप एक पृथक साझेदारी फर्म है, वहीं श्रमिकों का कहना था कि तीनों के खातों को सम्मिलित रूप से देखा जाए, अथवा वैकल्पिक रूप से केवल प्रेस को ही ध्यान में रखा जाए।

इस मुद्दे पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने स्वीकार किया कि यह प्रश्न कि एक स्वामी द्वारा संचालित दो गतिविधियाँ एक औद्योगिक इकाई हैं या दो पृथक औद्योगिक इकाइयाँ—सर्वदा सरल नहीं होता और इस हेतु कोई कठोर एवं स्थिर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करेगा। यह भी प्रतिपादित किया गया कि कुछ मामलों में दो गतिविधियाँ इतनी घनिष्ठ रूप से परस्पर संबंधित होंगी कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उन्हें स्वतंत्र औद्योगिक गतिविधियाँ नहीं मानेगा। उक्त निर्णय के पैरा 2 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया है:

> "2. यह प्रश्न कि जिस एकल स्वामी द्वारा दो गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं, वे एक औद्योगिक इकाई हैं या दो पृथक औद्योगिक इकाइयाँ—सर्वदा सरलता से समाधान योग्य नहीं है। इस प्रश्न के निर्णय के लिए कोई कठोर एवं स्थिर नियम नहीं बनाया जा सकता और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने विशिष्ट तथ्यों पर करना पड़ता है। कुछ मामलों में, दो गतिविधियाँ—भले ही वे पृथक रूप से 'औद्योयोगिकी' की परिभाषा में आती हों—इतनी घनिष्ठ रूप से संबद्ध होती हैं कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति उन्हें स्वतंत्र उद्योग नहीं मानेगा। अन्य मामलों में, यद्यपि दोनों गतिविधियों के मध्य संबंध स्वयं में किसी एक निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पर्याप्त न हो, किन्तु पूँजी, स्टाफ एवं प्रबंधन को मिश्रित करने या न करने में नियोक्ता की अपनी आचरण-प्रकृति प्रायः एक स्पष्ट उत्तर प्रदान कर सकती है।"

17. इस न्यायालय ने सर्वप्रथम इस प्रश्न का परीक्षण किया कि क्या प्रेस एवं पत्र इस प्रकार परस्पर निर्भर थे कि उनमें से एक बिना दूसरे के अस्तित्व में नहीं रह सकता था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रेस इकाई तथा पत्र इकाई के मध्य ऐसी कोई कार्यात्मक परस्पर-निर्भरता नहीं थी, जिससे उन्हें एक ही औद्योगिक इकाई माना जा सके। इतना ही नहीं, इस

न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि यह आवश्यक है कि व्यवसायी के अपने आचरण का भी परीक्षण किया जाए कि क्या उसने दोनों इकाइयों की पूँजी, लाभ तथा श्रमिक-बल को परस्पर मिश्रित किया था। इस न्यायालय ने यह भी देखा कि क्या कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि दोनों इकाइयों में नियोजित पूँजी एक ही निधि से आती थी। प्रताप प्रेस (उपर्युक्त) के पैरा 6 एवं 7 निम्नलिखित रूप में उद्धृत हैं:

> "6. वर्तमान अपीलों के तथ्यों की ओर आते हुए, हम पाते हैं कि प्रेस एवं 'वीर अर्जुन' पत्र के कार्य इतने परस्पर निर्भर नहीं हैं कि एक बिना दूसरे के अस्तित्व में न रह सके। यह सामान्य ज्ञान का विषय है, और गंभीर रूप से विवादित भी नहीं है, कि अनेक प्रेस ऐसे हैं जो किसी समाचारपत्र के प्रकाशन के बिना भी अस्तित्व में हैं। इसी प्रकार, समाचारपत्र के प्रकाशन का उद्योग भी बिना इस बात के अस्तित्व में रह सकता है कि वही स्वामी उसके मुद्रण हेतु स्वयं एक प्रेस चलाए। यह तथ्य कि 'डेली प्रताप', जो एक साझेदारी फर्म के स्वामित्व में था, श्री नरेन्द्र के स्वामित्व वाले प्रताप प्रेस में मुद्रित हो रहा था, इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रेस इकाई एवं पत्र इकाई के मध्य ऐसी कार्यात्मक परस्पर-निर्भरता थी कि दोनों को युक्तिसंगत रूप से एक ही औद्योगिक इकाई माना जाए।
>
> 7. इसके साथ ही व्यवसायी के अपने आचरण पर विचार करना भी आवश्यक है। क्या उसने दोनों इकाइयों की पूँजी, दोनों के लाभ तथा दोनों इकाइयों के श्रमिक-बल को परस्पर मिश्रित किया? ये ऐसे तथ्य हैं जिन पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नियोक्ता स्वयं सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। तथापि, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि विवाद उत्पन्न होने से पूर्व किसी भी समय उसने दोनों इकाइयों की पूँजी को एकल कोष से निवेशित माना हो, और न ही

यह दर्शाने हेतु कोई सामग्री प्रस्तुत की गई कि उसने लाभ को सम्मिलित किया या कि श्रमिकों को एक ही स्थापना का माना। यह ध्यान देने योग्य है कि ऐसा कोई अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे यह स्पष्ट हो कि व्यवसायी ने अपने प्रयोजन हेतु दोनों इकाइयों की परिसंपत्तियों को एक संयुक्त समग्र के रूप में माना था अथवा दो भिन्न इकाइयों की परिसंपत्तियों के रूप में। अभिलेख पर उपलब्ध लाभ-हानि खाते, प्रतीत होता है कि 26-12-1951 के आसपास तैयार किए गए—संभवतः संदर्भ बनाए जाने तथा यह विवाद उत्पन्न होने के बाद कि ये इकाइयाँ एक हैं या दो। अतः इस तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता कि उक्त लाभ-हानि खाते में प्रेस से प्राप्तियाँ तथा 'वीर अर्जुन' से प्राप्तियाँ, दोनों को आय के रूप में दर्शाया गया था।"

अंततः, इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रेस एक स्वतंत्र इकाई थी।

18. दि ऑनरेरी सेक्रेटरी, साउथ इंडिया मिलओनर्स' एसोसिएशन एण्ड अदर्स बनाम द सेक्रेटरी, कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल वर्कर्स' यूनियन, [1962] सप्ली. 2 एस.सी.आर. 926 का मामला कर्मचारियों को बोनस के पुरस्कार के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था। इस न्यायालय ने यह प्रश्न विचाराधीन लिया कि क्या सरोजा मिल्स लिमिटेड, कोयंबटूर तथा थियागराजा मिल्स, मदुरै, जो सरोजा मिल्स लिमिटेड द्वारा संचालित थीं, स्वतंत्र इकाइयाँ थीं या उन्हें एक ही इकाई माना जाना चाहिए। जहाँ प्रबंधन ने इन इकाइयों को अलग-अलग बताया, वहीं श्रमिकों ने इसके विपरीत दावा किया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, इस न्यायालय ने यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्येक मामले के तथ्य अपने आप में निर्णायक होते हैं (पृष्ठ 943), निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किए:-

"हमारे निर्णय हेतु उठाया गया प्रश्न सदैव सरल नहीं होता। इस समस्या के समाधान हेतु अनेक कारक प्रासंगिक होते हैं और यह ध्यान रखना चाहिए कि

प्रत्येक मामले में इन विभिन्न प्रासंगिक कारकों का महत्व और उनका प्रभाव समान नहीं होगा। स्वामित्व की एकता, प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता प्रासंगिक कारक हैं। इसी प्रकार दोनों उपक्रमों की सामान्य एकता भी महत्त्वपूर्ण है; वित्तीय एकता अप्रासंगिक नहीं है, और भौगोलिक स्थिति भी कुछ प्रासंगिकता रख सकती है; कार्यात्मक अखण्डता भी कुछ मामलों में एक महत्त्वपूर्ण कारक हो सकती है। यह भी सम्भव है कि कुछ मामलों में यह परीक्षण करना आवश्यक हो कि क्या एक उपक्रम, दूसरे का अभिन्न अंग है जिससे दोनों मिलकर एक ही उपक्रम का रूप धारण करते हैं, और इस प्रश्न पर विचार करते समय एक उपक्रम की दूसरे पर किसी आवश्यक निर्भरता का अस्तित्व भी प्रासंगिक हो सकता है। उद्देश्य या डिजाइन की एकता, अथवा समान अथवा समांतर गतिविधि जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु की जाती हो—ये सभी तत्व भी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं—देखें: **अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एंड कैलिको प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड बनाम देयर वर्कमेन [1951] 2 एल.एल.जे. 657**।"

19. यह दृष्टिगत होता है कि इस न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि अनेक कारक प्रासंगिक हैं और प्रत्येक मामले में इन कारकों का महत्व तथा प्रभाव समान नहीं होता। यह भी कहा गया कि स्वामित्व की एकता, प्रबंधन एवं नियंत्रण की एकता, दोनों उपक्रमों की सामान्य एकता, वित्तीय एकता, भौगोलिक स्थिति तथा कार्यात्मक अखण्डता—ये सभी कारक प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए प्रासंगिक होंगे। आगे यह भी प्रतिपादित किया गया कि उद्देश्य की एकता, डिजाइन की एकता अथवा समान अथवा समांतर गतिविधि, जो किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक उपक्रम या दूसरे द्वारा की जाती हो—ये भी कारक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक होंगे।

20. प्रबंधन के इस तर्क को विशेष रूप से अस्वीकार करते हुए कि कार्यात्मक अखण्डता ही एकमात्र परीक्षण है तथा कार्यात्मक अखण्डता के अभाव में दोनों इकाइयों को अलग-अलग माना जाना चाहिए, इस न्यायालय ने **साउथ इंडिया मिलओनर्स' एसोसिएशन (उपर्युक्त)** में निम्नलिखित रूप से निर्णय दियाः–

"श्री शास्त्री का तर्क है कि कार्यात्मक अखण्डता एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है और वे इस हद तक गए कि यदि यह परीक्षण संतुष्ट नहीं होता तो यह दावा कि दो मिलें एक इकाई हैं, स्वतः ही असफल होना चाहिए। हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आधुनिक औद्योगिक उपक्रमों की जटिल एवं बहुआयामी संरचनाओं में यह कहना तर्कसंगत नहीं होगा कि कोई एक ही परीक्षण निर्णायक हो सकता है; प्रत्येक मामले में परीक्षणों का महत्व एवं प्रभाव भिन्न होगा, अतः प्रश्न का निर्णय सदैव सभी प्रासंगिक परीक्षणों को ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें उस औद्योगिक उपक्रम की प्रकृति से जोड़ते हुए किया जाना चाहिए जिसके समक्ष न्यायालय है। यह स्पष्ट है कि जब न्यायालय एक ही औद्योगिक स्थापना या एक ही नियोक्ता द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर विचार कर रहा हो, तब कार्यात्मक अखण्डता एक महत्वपूर्ण परीक्षण होगी। यदि नियोक्ता दो ऐसे व्यवसाय चला रहा है जो आपस में सम्बद्ध हों, तब यह देखना प्रासंगिक है कि क्या दोनों व्यवसाय कार्यात्मक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं या परस्पर अंतर्निर्भर हैं। यदि हाँ, तो यह इस निष्कर्ष के पक्ष में एक महत्त्वपूर्ण कारक होगा कि दोनों व्यवसाय मिलकर एक इकाई बनाते हैं। परंतु यह परीक्षण उतना महत्त्वपूर्ण नहीं होगा जब न्यायालय ऐसे मामले से निपट रहा हो जहाँ नियोक्ता एक ही प्रकार का व्यवसाय दो भिन्न स्थानों पर चला रहा हो। केवल इसलिए कि ऐसे दो उपक्रमों के बीच कार्यात्मक अखण्डता नहीं पाई जाती, यह निष्कर्ष आवश्यक नहीं है कि वे दोनों

पृथक इकाइयाँ हैं। अतः हम श्री शास्त्री के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि कार्यात्मक अखण्डता को प्रत्येक मामले में निर्णायक माना जाए। यदि इसे निर्णायक मान लिया जाए, तो एक औद्योगिक स्थापना जो एक ही स्थान पर एक ही प्रकृति की विभिन्न फैक्ट्रियाँ चला रही है, यह दावा कर सकती है कि ये अलग-अलग इकाइयाँ हैं, जिससे बोनस के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि दो स्थापनाओं की एकता का प्रश्न किस संदर्भ में उठाया गया है। यदि संदर्भ बोनस-प्रत्याभूति का है, तो यह प्रासंगिक है कि सामान्यतः सभी कर्मचारी, यदि वे एक ही नियोक्ता के अधीन कार्यरत हैं, संयुक्त रूप से बोनस का दावा करते हैं। हमने पक्षकारों के सभी तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचते कि ट्राइब्यूनल का यह निष्कर्ष—कि सरोजा मिल्स लिमिटेड द्वारा संचालित दोनों मिलें एक इकाई हैं—कानून में त्रुटिपूर्ण है।"

इस संदर्भ में कुछ निर्णयों का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा, जिनकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराया गया। **असोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड एंड देयर वर्कमेन** के प्रकरण में इस न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियोक्ता द्वारा संचालित चूना-पत्थर की खान, उसी नियोक्ता द्वारा संचालित कारखाने (फ़ैक्टरी) की ही अन्य भाग/शाखा/इकाई है, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-E(iii) के अंतर्गत 'स्थापना' की परिभाषा में निहित है। यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष जो प्रश्न था, वह धारा 25-E(iii) के अंतर्गत उत्पन्न हुआ था और वह उस स्थिति से संबंधित था जिसमें अपीलार्थी कंपनी द्वारा संचालित चूना-पत्थर की खान तथा उसी के स्वामित्व और प्रबंधन में संचालित सीमेंट कारखाना — जो सामान्यतः दो भिन्न व्यवसाय माने

जाते हैं — एकीकृत हैं या पृथक। इसी प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय ने अनेक परीक्षणों का उल्लेख किया जो प्रासंगिक हो सकते हैं, जिनमें कार्यात्मक अखंडता का परीक्षण भी सम्मिलित है। इस प्रश्न पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति एस.के. दास, जिन्होंने न्यायालय का निर्णय लेखबद्ध किया, ने यह अवलोकित किया कि संभवतः किसी एक परीक्षण को सभी मामलों में पूर्णतया निर्णायक एवं अपरिवर्तनीय परीक्षण के रूप में निर्धारित करना असंभव है। इन परीक्षणों का वास्तविक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि विभिन्न भागों, शाखाओं, इकाइयों आदि के मध्य वास्तविक संबंध क्या है। यदि वास्तविक संबंध यह दर्शाता है कि वे सभी एक समन्वित एवं एकीकृत संपूर्ण के रूप में कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्थापना को एक ही माना जाता है; और विपरीत स्थिति में, जहाँ ऐसी एकीकृतता सिद्ध नहीं होती, प्रत्येक इकाई को पृथक इकाई माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी अवलोकित किया कि किसी मामले में स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण की एकता प्रमुख परीक्षण हो सकती है; किसी अन्य मामले में कार्यात्मक अखंडता या सामान्य एकता प्रमुख हो सकती है; और किसी अन्य मामले में रोजगार की एकता सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण हो सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि चूना-पत्थर की खान और कारखाने के मध्य अंतर्संबंध का परीक्षण करते समय इस न्यायालय ने यह सावधानीपूर्वक स्पष्ट किया है कि कोई एक परीक्षा/मापदंड निर्णायक नहीं माना जा सकता और प्रत्येक परीक्षण की प्रासंगिकता एवं महत्व का मूल्यांकन प्रत्येक मामले के तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य के आधार पर किया जाना होगा।”

21. ***<u>मैनेजमेंट ऑफ़ वेंगर एंड कंपनी बनाम देयर वर्कमेन, (1963) सप्लीमेंट 2 एस.सी.आर. 862</u>***

में यह प्रश्न विचाराधीन था कि एक ही प्रबंधन द्वारा संचालित औद्योगिक स्थापनाएँ पृथक इकाइयाँ हैं या एक ही स्थापना का भाग हैं। उक्त मामले में प्रश्न यह था कि क्या वाइन शॉप्स

और रेस्तरां एक ही स्थापना के अंग हैं या नहीं। उस मामले में प्रबंधन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि कार्यात्मक अखंडता का अभाव है, तो अनिवार्यतः यह निष्कर्ष निकालना होगा कि सभी मामलों में इकाइयाँ पृथक हैं। इस तर्क को अस्वीकार करते हुए इस न्यायालय ने निम्नानुसार प्रतिपादित किया:–

> "यह प्रश्न कि एक ही प्रबंधन द्वारा संचालित औद्योगिक स्थापनाएँ पृथक इकाइयाँ हैं या एक ही स्थापना, इस न्यायालय द्वारा अनेक अवसरों पर विचाराधीन रहा है। इस प्रश्न का निर्णय करते समय अनेक कारक प्रासंगिक होते हैं, परंतु यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन कारकों का महत्व और उनका प्रभाव प्रत्येक मामले में समान नहीं होता; यह कि दो इकाइयाँ एक स्थापना का भाग हैं या वास्तविक रूप से अलग और स्वतंत्र इकाइयाँ हैं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। श्री पाठक का तर्क है कि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुँचने में त्रुटिपूर्ण था कि रेस्तरां वाइन शॉप्स के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते और कि उनके बीच कार्यात्मक अखंडता है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि यह अवलोकन कि रेस्तरां और वाइन शॉप के बीच कार्यात्मक अखंडता है और कि रेस्तरां वाइन शॉप्स के बिना नहीं चल सकते, पूर्णतः सटीक या सही नहीं है। परंतु कार्यात्मक अखंडता का परीक्षण या यह परीक्षण कि क्या एक इकाई दूसरी के बिना अस्तित्व में रह सकती है, यद्यपि कुछ मामलों में महत्वपूर्ण है, परंतु इसे प्रत्येक मामले में उसके तथ्यात्मक संदर्भ की उपेक्षा करके निर्णायक रूप से नहीं लागू किया जा सकता। अतः हम इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि कार्यात्मक अखंडता के अभाव में तथा केवल इसलिए कि दोनों इकाइयाँ पृथक रूप से अस्तित्व में रह सकती हैं, यह अनिवार्य निष्कर्ष निकले कि वे जहाँ साथ अस्तित्व में हों, वहाँ भी वे पृथक इकाइयाँ ही होंगी और एक

> स्थापना का गठन नहीं करतीं। इस बिंदु पर विस्तार से चर्चा आवश्यक नहीं है क्योंकि यह न्यायालय पूर्व में इस समस्या का परीक्षण कर चुका है, जैसे— असोसिएटेड सीमेंट कम्पनीज़ लिमिटेड बनाम देयर वर्कमेन; प्रताप प्रेस बनाम देयर वर्कमेन; पक्षिराजा स्टूडियोज़ बनाम इट्स वर्कमेन; साउथ इंडिया मिलओनर्स' एसोसिएशन बनाम कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन; फाइन निटिंग कम्पनी लिमिटेड बनाम इंडस्ट्रियल कोर्ट; तथा डी.सी.एम. कैमिकल वर्क्स बनाम इट्स वर्कमेन।"

22. अतः यह पूर्णतया स्पष्ट है कि कार्यात्मक अखंडता का परीक्षण—अर्थात् यह परीक्षण कि क्या एक इकाई दूसरी के बिना अस्तित्व में रह सकती है—कुछ मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है, परंतु प्रत्येक मामले में, उसके तथ्यात्मक संदर्भ की उपेक्षा करके, इसे अनिवार्य रूप से निर्णायक नहीं माना जा सकता। यह सही विधिक स्थिति नहीं है कि कार्यात्मक अखंडता के अभाव में इकाइयों को अनिवार्यतः पृथक ही माना जाए। तत्पश्चात, विधि को तथ्यों पर लागू करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:–

> "आइए अब वर्तमान विवाद में प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करें। यह सर्वमान्य है कि जहाँ भी नियोक्ता रेस्टोरेंट और शराब की दुकान चलाता है, उस व्यापार में रुचि रखने वाले व्यक्ति एक ही साझेदार होते हैं। दोनों इकाइयों को दी जाने वाली पूँजी समान होती है। 1956 से पहले, शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट अलग-अलग नहीं चलाए जाते थे, लेकिन 1956 के बाद जब नई दिल्ली में आंशिक शराबबंदी लागू हुई, तो शराब की दुकानों को अलग करना पड़ा क्योंकि रेस्टोरेंट में शराब नहीं बेची जा सकती। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि शराब की दुकान चलाने का लाइसेंस इस तथ्य के आधार पर जारी किया जाता है कि प्रबंधन शराबबंदी लागू होने से पहले भी शराब की दुकान चला रहा था। वास्तव में, कई मामलों में शराब की दुकानें

चलाने का लाइसेंस पूर्व रेस्टोरेंट को इस शर्त पर दिया गया है कि शराब की दुकानें शराबबंदी नियमों के अनुसार अलग-अलग चलाई जाएँ। यह सच है कि कई प्रतिष्ठान शराब की दुकानों और रेस्टोरेंट के लिए अलग-अलग खाते और स्वतंत्र बैलेंस-शीट रखते हैं; लेकिन यह स्पष्ट रूप से निर्णायक नहीं है क्योंकि हो सकता है कि प्रतिष्ठान चरण दर चरण यह तय करना चाहते हों कि कौन सा व्यवसाय अधिक लाभ दे रहा है। अंततः, लाभ और हानि आमतौर पर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार, सामान्यतः कहा जाता है, एकता है। स्वामित्व, वित्त की एकता, प्रबंधन की एकता और श्रम की एकता; रेस्तरां से कर्मचारियों को शराब की दुकान में स्थानांतरित किया जा सकता है और इसके विपरीत। इसके अलावा, यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी मामले में प्रतिष्ठान ने दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 (1954 का 7) की धारा 5 के तहत शराब की दुकानों और रेस्तरां को अलग से पंजीकृत नहीं किया है। वास्तव में, जब नियोक्ता संघ के सचिव श्री निरुला को अपनी शराब की दुकान को अलग से पंजीकृत करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने विरोध किया और आग्रह किया कि कई विभागों का अलग पंजीकरण अनावश्यक था; और यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शराब की दुकान को प्रतिष्ठान द्वारा अपने विभागों में से एक के रूप में माना जाता था और इससे अधिक कुछ नहीं। जिन सभी तथ्यों का हमने अभी ज़िक्र किया है, उन्हें देखते हुए हमें नहीं लगता कि श्री पाठक की इस दलील को स्वीकार करना होगा कि न्यायाधिकरण ने यह मानकर त्रुटि की है कि शराब की दुकान और रेस्टोरेंट एक ही औद्योगिक स्थल का हिस्सा हैं।”

23. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि इस न्यायालय ने स्वामित्व की एकता, वित्त की एकता, प्रबंधन की एकता और श्रम की एकता तथा कर्मचारियों की स्थानांतरणीयता को प्रासंगिक संकेत माना है।

24. *साउथ इंडिया मिलओनर्स एसोसिएशन (उपर्युक्त), वेंगर्स (उपर्युक्त) और प्रताप (उपर्युक्त)* से यह स्पष्ट है कि न्यायालय केवल यह जांच कर नहीं रुक सकते कि क्या दोनों इकाइयां कार्यात्मक रूप से इतनी एकीकृत हैं कि एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती और कार्यात्मक अभिन्नता के अभाव में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इकाइयां अलग हैं। वर्तमान मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी का मामला यह है कि जहां अपीलकर्ता की इकाई टैबलेट और सिरप बनाती है, वहीं प्रत्यर्थी क्रमांक 3-विंदास इंजेक्शन और कैप्सूल बनाती है। लिखित प्रस्तुतियों के अनुसार, अपीलार्थी का तर्क है कि प्रतिष्ठानों में उत्पादों की पूरी तरह से अलग रेंज है और इन दोनों के बीच मानव और सामग्री का कोई भी आवागमन गंभीर संदूषण का कारण बन सकता है और किसी भी कच्चे माल की अन्योन्याश्रयता नहीं है। दूसरी ओर, प्राधिकारियों का तर्क है कि हालांकि निर्मित उत्पाद अलग-अलग हो सकते हैं

25. ***राजस्थान प्रेम कृष्ण गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली एवं अन्य,*** (1996) 9 एससीसी 454 में, प्राधिकारियों ने स्वामित्व, प्रबंधन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, रोजगार, वित्त और सामान्य प्रयोजन की एकता को ध्यान में रखते हुए मेसर्स राजस्थान प्रेम कृष्ण गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी और मेसर्स राजस्थान प्रेम कृष्ण ट्रांसपोर्ट कंपनी को ईपीएफ अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक ही प्रतिष्ठान माना। ऐसा इस निष्कर्ष पर किया गया कि दोनों संस्थाओं में दस साझेदार समान थे; व्यवसाय का स्थान, पता और टेलीफोन नंबर समान थे और प्रबंधन भी समान था। यह भी पाया गया कि दोनों संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे ट्रक साझेदारों के स्वामित्व में थे और दोनों इकाइयों के माध्यम से किराए पर लिए जा रहे थे।

इस न्यायालय ने प्राधिकारियों के निष्कर्ष का समर्थन किया और दोनों इकाइयों को एक साथ जोड़ने के निर्णय को बरकरार रखा।

26. ***<u>क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर बनाम नारायणी उद्योग एवं अन्य</u>***, (1996) 5 एससीसी 522 में, प्रश्न यह था कि क्या दो संस्थाओं मेसर्स नारायणी उद्योग, कोटा और मेसर्स मॉडर्न स्टील्स, कोटा को ईपीएफ अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक माना जाना चाहिए। प्राधिकारियों ने पाया कि एक ही प्रधान कार्यालय, एक ही शाखा कार्यालय, निवास और कारखानों के लिए एक ही टेलीफोन था। यह पाया गया कि विभाग का यह दावा कि मेसर्स मॉडर्न स्टील्स का कार्यालय मेसर्स नारायणी उद्योग के परिसर में स्थित था और दोनों इकाइयों के खातों को एक ही क्लर्क द्वारा बनाए रखा जाता था, नियोक्ता द्वारा विवादित नहीं किया गया था। नियोक्ता का तर्क था कि उन्होंने दोनों संस्थाओं को कारखाना अधिनियम, बिक्री कर अधिनियम और ईएसआईसी अधिनियम के तहत अलग-अलग पंजीकृत किया है; कि इकाइयां तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित थीं और उनके अलग-अलग केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्रमांक थे, और उन्हें अलग-अलग लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसलिए उन्हें अलग इकाइयों के रूप में माना जाना चाहिए। नियोक्ता ने अधिकारियों के इस दावे का भी खंडन किया कि एक इकाई के श्रमिक दूसरी में काम कर रहे थे। प्राधिकारियों ने अलग पंजीकरण के पहलू को योग्यता से रहित बिंदु माना। उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने पर, उक्त मामले में खंडपीठ ने नियोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया कि चूँकि वे कंपनी अधिनियम के तहत दो अलग-अलग व्यक्तिगत पहचानों के रूप में पंजीकृत थे, हालाँकि उनका प्रतिनिधित्व एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता था, और कंपनियाँ स्वतंत्र थीं। प्राधिकारियों द्वारा उक्त निर्णय को चुनौती दिए जाने पर, इस न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि कंपनी अधिनियम के तहत अलग-अलग पंजीकरण के कारण, वे अलग-अलग व्यक्तिगत पहचानें थीं, पूरी तरह से अनुचित था। इस न्यायालय ने माना कि

कार्यात्मक एकता और अभिन्नता थी और प्राधिकारियों द्वारा दोनों इकाइयों को एक साथ मिलाना उचित था।

27. ***क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अन्य बनाम धर्मसी मोरारजी केमिकल कंपनी लिमिटेड,*** (1998) 2 एससीसी 446 में, इस न्यायालय ने नियोक्ता के पक्ष में यह निष्कर्ष निकाला कि पर्यवेक्षी, वित्तीय या प्रबंधकीय नियंत्रण का कोई साक्ष्य नहीं था और एकमात्र संचारी कड़ी यह थी कि दोनों का स्वामित्व एक ही स्वामी के पास था। इस तथ्य के आधार पर यह निर्णय दिया गया कि यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक कि दोनों इकाइयों के बीच अंतर्संबंध न हो और उनका पर्यवेक्षी, वित्तीय या प्रबंधकीय नियंत्रण एक ही न हो। यह मामला अपीलकर्ता की मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह अपने विशिष्ट तथ्यों पर आधारित है जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा पाँच में स्पष्ट रूप से दर्ज है।

28. ***राज कॉन्टिनेंटल एक्सपोर्ट्स (पी) लिमिटेड (उपर्युक्त)*** में, इस कोर्ट ने एम्प्लॉयर के लिए पाया कि दोनों इकाईयाँ पूरी तरह से स्वतंत्र थीं और उसने विद्वान एकल न्यायाधीश और युगल पीठ के फैसले को सही ठहराया। यहाँ भी, मामला के खास तथ्यों पर टिका था और अपीलार्थी की कोई मदद नहीं कर सका ।

29. ***सुमंगली बनाम , क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,*** (2008) 9 एससीसी 106 में, इस न्यायालय ने पाया कि प्राधिकारियों ने माना था कि संस्थाओं का विलय उचित था और उनमें कार्यात्मक अखंडता, प्रबंधन में एकता, वित्तीय एकता, भौगोलिक निकटता, पर्यवेक्षण और नियंत्रण में एकता और उद्देश्य की सामान्य एकता थी। प्राधिकारियों और उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि भले ही प्रत्येक इकाई का अलग-अलग संविधियो के तहत अलग-अलग पंजीकरण हो, फिर भी सभी इकाइयाँ परस्पर निर्भर थीं और अपने कपड़ा व्यवसाय के लिए

एक-दूसरे की अनुपूरक और पूरक थीं। इस न्यायालय ने प्राधिकारियों और उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को बरकरार रखा और नियोक्ता की अपील खारिज कर दी।

30. ***<u>एल.एन. गाडोडिया एंड संस एंड अनदर बनाम रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर</u>***, (2011) 13 एससीसी 517 में, मुद्दा यह था कि क्या अपीलार्थी एल.एन. गडोडिया एंड संस और उस मामले में अपीलार्थी क्रमांक 2 मेसर्स दिल्ली फार्मिंग एंड कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड को ईपीएफ अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारियों द्वारा एक इकाई के रूप में सही ढंग से जोड़ा गया था? पंजीकृत कार्यालय एक ही था; एक निदेशक निश्चित रूप से एक ही था; अधिकारियों ने पाया कि एक ही प्रबंध निदेशक था; उस मामले में अपीलार्थी नंबर 2 द्वारा अपीलार्थी नंबर 1 को ऋण दिए गए थे; दो अधिकारी एक ही पाए गए, टेलीफोन नंबर एक ही थे और यहां तक कि ग्राम संख्या भी। "गडोडिया सन" एक ही थे। न्यायाधिकरण ने इस आधार पर अधिकारियों के निष्कर्ष को उलट दिया कि संस्थाएं अलग-अलग पंजीकृत थीं। उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकारियों द्वारा चुनौती दिए जाने पर, उच्च न्यायालय ने भविष्य निधि आयुक्त के निष्कर्ष को बहाल कर दिया, यह मानते हुए कि न्यायाधिकरण कंपनियों के अलग-अलग कानूनी संस्थाएं होने के तथ्य से प्रभावित था। इस न्यायालय में एक और चुनौती पर, इस न्यायालय ने भविष्य निधि आयुक्त के निष्कर्ष को बरकरार रखा। अधिनियम की धारा 2-ए की व्याख्या और इस तर्क पर विचार करते हुए कि किसी प्रतिष्ठान के केवल विभिन्न विभागों को ही एक साथ जोड़ा जा सकता है, विभिन्न प्रतिष्ठानों को एक साथ नहीं, इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:-

> "23. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि दोनों संस्थाएं दो अलग-अलग प्रतिष्ठान हैं। उन्होंने अधिनियम की धारा 2-ए से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि जहां एक प्रतिष्ठान में विभिन्न विभाग होते हैं या जिसकी

> शाखाएँ एक ही स्थान पर हों या अलग-अलग स्थानों पर, ऐसे सभी विभागों या शाखाओं को एक ही प्रतिष्ठान के अंग माना जाएगा। यह तर्क दिया गया कि किसी प्रतिष्ठान के केवल विभिन्न विभागों या शाखाओं को ही एक साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन विभिन्न प्रतिष्ठानों को एक साथ नहीं। इस संबंध में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह एक कल्याणकारी अधिनियम में एक सक्षमकारी प्रावधान है। दोनों याचिकाकर्ता सख्त अर्थों में एक ही प्रतिष्ठान के अलग-अलग विभाग नहीं हो सकते। हालाँकि, जब हम देखते हैं कि वे एक ही परिवार द्वारा एक ही प्रबंधन के तहत, समान कार्यबल और वित्तीय अखंडता के साथ संचालित होते हैं, तो भविष्य निधि अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उन्हें एक ही प्रतिष्ठान की शाखाओं के रूप में माना जाना अपेक्षित है। मुद्दा एक कल्याणकारी अधिनियम के अनुप्रयोग के संबंध में है और दृष्टिकोण सयाजी मिल्स लिमिटेड [1984 एस यू पी पी एससीसी 610] में इस न्यायालय द्वारा इंगित किया गया है। मानदंड वही होना चाहिए जो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड [एआईआर 1960 एससी 56] में निर्धारित किया गया है, जिसकी व्याख्या प्रताप प्रेस [एआईआर 1960 एससी 1213] में की गई है।

31. इसलिए, इस फैसले से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यहां अपीलकर्ता का यह तर्क कि एक बार दो अलग-अलग न्यायिक संस्थाएं हो जाने पर क्लबिंग का सिद्धांत लागू नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से असमर्थनीय है और इसे केवल खारिज करने के लिए कहा गया है। यह

सर्वविदित है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग संस्थाओं का पर्दा बनाने के लिए कृत्रिम उपकरणों, छल-कपट और मुखौटे का सहारा लिया जाता है। ऐसे परिदृश्य का सामना करने वाले कानून के न्यायालय का कर्तव्य है कि वह पर्दा उठाए और यह निर्धारित करने के लिए अच्छी तरह से स्थापित परीक्षणों को लागू करने के पीछे देखें कि क्या संस्थाएं वास्तव में अलग संस्थाएं हैं या वे वास्तव में एक ही संस्था हैं। असंख्य तथ्यात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। अतः, यह तर्क कि यदि कंपनी अधिनियम के तहत स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग पंजीकृत संस्थाएँ शामिल हैं तो धारा 2ए लागू नहीं की जा सकती, इसे केवल खारिज करने के लिए कहा गया है।

32. ***एल.एन. गाडोदिया (उपर्युक्त)*** में, साक्ष्य के भार के पहलू पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां की थीं:-

> "24. भविष्य निधि विभाग ने अपने निरीक्षण के आधार पर याचिकाकर्ताओं को 11-6-1990 को नोटिस जारी किया था। इसने याचिकाकर्ताओं की 1988 की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया था। भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7-ए के तहत भविष्य निधि आयुक्त के समक्ष की गई जाँच में याचिकाकर्ताओं को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूरा अवसर मिला। हालाँकि, याचिकाकर्ताओं ने केवल एक सरल स्पष्टीकरण तक ही सीमित रखा। यदि उनके अनुसार, दोनों कंपनियों का प्रबंधन, कार्यबल और वित्तीय मामले वास्तव में स्वतंत्र थे, तो उन्हें आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए थे, क्योंकि उन्हें इसकी सबसे अच्छी जानकारी होती। जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी पर होता है। यह

नियम (जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में भी निहित है) ऐसे पक्ष से संबंधित प्राधिकारी के समक्ष सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, जिसके अभाव में प्राधिकारी को आवश्यक निष्कर्ष निकालने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का यह नतीजा सही था कि रिकॉर्ड में मौजूद चीज़ों के आधार पर दोनों प्रतिवादियों के वित्त , प्रबंध और कार्यबल स्वतंत्र थे।

33. इस श्रृंखला का अंतिम मामला जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, वह है ***श्री विशाल प्रिंटर्स लिमिटेड, जयपुर बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, जयपुर एवं अन्य***, (2019) 9 एससीसी 508। इस न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तथ्यों को समग्र रूप से देखा जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक तथ्य अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्धारित विभिन्न मानदंडों को लागू करते हुए मामले के तथ्यों पर संचयी रूप से विचार किया जाए (देखें अनुच्छेद 40)।

34. ऊपर उद्धृत मामलों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि सभी मामलों के लिए किसी एक मानदंड को पूर्ण और अपरिवर्तनीय मानदंड के रूप में निर्धारित करना असंभव होगा। इस मानदंड का वास्तविक उद्देश्य भागों, शाखाओं और इकाइयों के बीच सही संबंध का पता लगाना है। यदि अपने वास्तविक संबंध में वे एक एकीकृत इकाई का निर्माण करते हैं, तो यह कहा जा सकता है कि प्रतिष्ठान एक है और यदि नहीं, तो उन्हें अलग-अलग इकाइयों के रूप में माना जाएगा। प्रत्येक मामले का निर्णय उसके अपने विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, विचाराधीन क़ानून की योजना और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और दावे के संदर्भ में। किसी दिए गए मामले में, स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण की एकता महत्वपूर्ण मानदंड हो सकती है, जबकि कुछ अन्य मामलों में कार्यात्मक अखंडता या सामान्य एकता

निर्णायक विचार हो सकती है। कुछ उदाहरणों में, रोजगार की एकता सबसे महत्वपूर्ण मानदंड हो सकती है। एक ही समय में कई जांचो पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विधि का नियम है कि तथ्यों को पूरी तरह से देखा जाना चाहिए। हालाँकि प्रत्येक पहलू अपने आप में निर्णायक नहीं हो सकता, लेकिन विभिन्न परीक्षणों को लागू करते समय तथ्यों पर संचयी रूप से विचार करना महत्वपूर्ण है। किसी भी मामले में पूँजी, कर्मचारियों और प्रबंधन को मिलाने या न मिलाने में नियोक्ता/प्रबंधन का अपना आचरण एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकता है। विभिन्न क़ानूनों के तहत केवल अलग-अलग पंजीकरण यह दावा करने का आधार नहीं हो सकता कि इकाइयाँ अलग हैं। इसी प्रकार, अलग-अलग खातों और स्वतंत्र वित्तीय विवरण का रखरखाव भी निर्णायक नहीं है। नियोक्ता/प्रबंधन पर अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व है।

35. मामले में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, एपीएफसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता और विंदास-प्रत्यर्थी नंबर 3 एक ही उद्योग में लगे हुए थे; वे समीपवर्ती भूखंडों पर बने परिसर में व्यवसाय करते थे; उनके टेलीफोन और फैक्स नंबर समान थे; उनकी वेबसाइट और ई-मेल आईडी समान थी; उनका पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय और प्रशासनिक कार्यालय एक ही था; उन्होंने परिसर की सुरक्षा के लिए समान सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए थे; प्रबंधन में एकता थी क्योंकि डॉ. दर्शन कटारिया और निरंजन कटारिया दोनों भाई प्रतिवादी नंबर 3-विंदास के निदेशक थे; डॉ. दर्शन कटारिया अपीलार्थी के भी निदेशक थे जबकि दूसरे भाई वासुदेव कटारिया और श्री रजनी कुमारी - दर्शन कटारिया की पत्नी अपीलार्थी -कंपनी में निदेशक थे; यह तथ्य कि वित्तीय एकता थी क्योंकि दर्शन कटारिया और उनके परिवार के सदस्यों ने दोनों कंपनियों को वित्तपोषित किया था, कुल मिलाकर यह निर्विवाद रूप से सिद्ध करता है कि ईपीएफ अधिनियम के प्रयोजनार्थ दोनों संस्थाओं को एक ही माना जाना उचित

ही था। अगर किसी आम आदमी से पूछा जाए कि क्या दोनों इकाइयाँ एक ही हैं, तो उसका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा।

36. विलयन के हमारे निष्कर्ष के मद्देनजर, पूर्ववर्ती धारा 16(1)(डी) के तहत शिशु सुरक्षा का दावा भी नहीं उठता। 1995 से विंदास प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की एक एकीकृत इकाई होने के नाते, अपीलकर्ता के लाभ के लिए कोई अलग शिशु सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। समान रूप से, यह तर्क भी अस्वीकार्य है कि 01.04.2004 से कवरेज के लिए मूल रूप से जारी किया गया कारण बताओ नोटिस, सितंबर 1995 से बकाया राशि जमा करने का निर्देश देने के लिए प्राधिकारियों के लिए उचित नहीं था। वास्तव में, जैसा कि अपीलार्थी के 10.10.2005 के प्रस्तुतीकरण के ऊपर दिए गए तथ्यात्मक विवरण से स्पष्ट होगा, यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी विलयन की संभावना का मूल्यांकन कर रहे थे। इसके अलावा, इसके अलावा, 24.01.2005 के संचार में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि 01.04.2004 की निर्धारित तिथि बदल सकती है और पिछली रिपोर्ट के निरीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लिया जाना था। पार्टियों को दी गई 10.11.2005 की आगे की रिपोर्ट में विलयन के पहलू पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई थी और अपीलकर्ता ने भी 20.12.2005 को अपनी प्रस्तुति के माध्यम से इसका जवाब दिया। इसके मद्देनजर, हमें अपीलार्थी की इस दलील को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अधिकारियों द्वारा सितंबर 1995 से बकाया राशि की मांग करना उचित नहीं था। इसी प्रकार, अपीलार्थी का यह तर्क कि क्लबिंग का नोटिस विंदास-प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को जारी किया जाना चाहिए था, भी सही नहीं है। जैसा कि प्राधिकारियों ने सही तर्क दिया है, चूंकि अंतिम अंशदान केवल इकाइयों के संबंधित कर्मचारियों के लिए ही लगाया जाना था और चूंकि विंदास-प्रत्यर्थी क्रमांक 3 के कर्मचारी पहले से ही संबंधित अवधि के लिए कवर किए गए थे, इसलिए विंदास-प्रत्यर्थी क्रमांक 3 को नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

37. उपर्युक्त कारणों से, हमें अपील में कोई गुणदोष नहीं दिखती। अपील खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील खारिज।

अनुवाद द्वारा - श्री विनय राज डाबी एवं सुश्री कवलदीप कौर सलूजा, कनिष्ठ न्यायिक अनुवादक)

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमीत है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एंव निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।